अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 473(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30.11.1992 की अधिसूचना सं0 **का**०आ0 878 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, मार्फत समाज सेवा केन्द्र, सर्वे सं० 4272, अकुरदी डाकघर के पीछे, अकुरदी, पुणे-411035" द्वारा "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1993-94 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 4 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 293 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1996-97 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.05.1998 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 438 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 30.12.2002 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 1384 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 05 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 789 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 2400 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ताकि आवेदक को उक्त अवधि के दौरान राशि को और आगे बढ़ाए बिना धारा 35 क ग के तहत पहले से एकत्रित राशि को खर्च करने का समय दिया जा सके; और बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 644 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 2410 (अ) द्वारा कार्य के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 3148 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 20 मई, 1998 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 438 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 118.00 लाख रू0 से बढ़ाकर 180.72 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 319 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 182.72 लाख रू0 से बढ़ाकर 298.60 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 789 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 298.60 लाख रू0 से बढ़ाकर 704.14 लाख रू0 कर दिया गया था; और आगे दिनांक 14.10.2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2604 (अ) द्वारा परियोजना लागत को 704.14 लाख रू0 से बढ़ाकर 821.80 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 644 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 821.80 लाख रू0 से बढ़ाकर 1219.80 लाख रू0 कर दिया गया था; और आगे दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 3148 (अ) द्वारा परियोजना लागत को 1219.80 लाख रू0 से बढ़ाकर 2021.80 लाख रू0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के **2021.80 लाख रू0 से बढ़कर 2971.80 लाख रूपए** होने और कार्य के क्षेत्र को मौजूदा क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, वर्धा जिले तथा राजस्थान के सीकर जिले के अतिरिक्त समूचे महाराष्ट्र तक बढ़ाए जाने की भी संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 2021.80 लाख रू0 से बढ़ाकर 2971.80 लाख रू0 करने और

अनुमोदन की शेष अवधि अर्थात 31 मार्च, 2016 तक कार्य के क्षेत्र को मौजूदा क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, वर्धा जिले तथा राजस्थान के सीकर जिले के अितरिक्त समूचे महाराष्ट्र तक बढ़ाने की भी सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, मार्फत समाज सेवा केन्द्र, सर्वे सं० 4272, अकुरदी डाकघर के पीछे, अकुरदी, पुणे-411035" द्वारा चलाई जा रही "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 30 नवंबर, 1992 की उक्त अधिसूचना सं० का०आ० 878 (अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 3 की सारणी के कॉलम 3 में "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" की परियोजना के अंतर्गत कार्य के क्षेत्र में निम्नलिखित "मौजूदा क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, वर्धा जिले तथा राजस्थान के सीकर जिले के अितरिक्त समूचे महाराष्ट्र" जोड़ा जाए और धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित कॉलम (4) में, "2021.80 लाख रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "2971.80 लाख रूपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 103/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)